

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

प्रश्न क्र. : 188
21, 2019

प्रश्न क्र.

188. श्री

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(क) देश में शिशु और मातृ मृत्यु दर को घटाने के लिए जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के अंतर्गत को गई गतिविधियों और पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान जेएसवाई के अंतर्गत दी गई वित्तीय और तकनीकी सहायता का विवरण/क्षेत्र-वार क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री श्वेता)

(क): राष्ट्रीय स्वस्थ मिशन (एनएचएम) के तहत जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) एक सुरक्षित मातृत्व कायकलाप है। मातृ एवं नवजात मौतों में कमी लाने के उद्देश्य से प्रारंभ को गई जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) का अंतर्गत

जीवन यापन करने वाले परिवारों को महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। देश में शिशु और मातृ मृत्यु दर को घटाने के लिए

1) राज्य सरकारों को अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गोवा, कर्णाटक, केन्द्र शासित प्रदेशों में निम्नलिखित निधन गभवती महिलाओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। जबकि इन राज्यों में जेएसवाई (जेएसवाई) का अंतर्गत, वहाँ शेष राज्यों में चंडीगढ़ जेएसवाई (जेएसवाई) का अंतर्गत

2) स प्र ि 19
च ि तक के अपवजन मानदंड को हटा दिया गया है और पात्र माताएं किसी आयु और
बच्चों के ख ढ प्र ण करने को पात्र है।

3) ि प्र ि ओ ि
च ि के ख ढ प्र ण 500/-रु. को नकद सहायता प्राप्त करने को पात्र

4) स स्थय सुविधा केन्द्रों ज ि ि
ऑपरेशन कराने अथवा प्रासविक जटिलताओं के प्रबंधन के लिए प्राइवेट विशेषज्ञों को सेवा
ज ि/ ज क्षेत्रों

5) प्र ि स नों के लिए विकल्पों म बढोतरी करने के लिए प्राइवेट स्वास्थ्य केन्द्रों
प्रत्या ज ि को प्रोत्स ि

(): ढ त ढ र -। ि
ि सहायता के लिए मंत्रालय द्वारा समय- पर राज्यों/ ज क्षेत्रों को दिशानिदेश
ि ि ि

(): क अवधि के दौरान लाभार्थियों को संख्या ज / ज - ढ र -॥ म दिया गया

....

र -।							
		ज -वार विवरण (रु. लाख म)					
#	वा	2016-17		2017-18		2018-19 (f)	
			र		र		र
र वा							
1	f	34339.71	27286.25	34414.71	27842.74	34318.71	27504.59
2	र	6914.00	5987.41	7026.00	6957.92	6941.43	6235.44
3	f प्र	266.49	526.51	264.70	557.89	264.70	605.72
4	र र	2431.52	2564.17	3235.89	2485.74	3236.18	2816.67
5		7143.20	6429.78	7682.70	7444.67	8750.00	7849.42
6	र प्र	19240.00	18922.98	20202.00	19671.53	21450.25	19811.41
7	f	9546.32	9101.84	9297.84	9513.44	8821.85	9475.88
8	र	20358.96	18831.81	20771.63	16063.38	19777.50	17161.03
9	र प्र	51128.79	44426.06	52919.66	49904.38	52618.35	47054.40
10	र	1741.45	1733.88	1680.07	1765.26	1784.36	1562.94
र वा							
11	र प्र	202.28	104.01	225.08	93.36	259.65	89.11
12		7156.48	9273.80	7119.44	7084.05	7068.95	7441.89
13	f	234.26	252.73	234.26	112.65	160.50	155.84
14		462.11	328.46	425.25	285.88	479.89	304.27
15	f	128.93	186.10	255.84	84.90	211.88	172.40
16		182.36	173.87	174.72	10.84	166.11	135.36
17	f के	31.54	31.60	31.54	21.40	36.11	38.78
18	त्रि	318.90	286.64	318.90	268.42	364.60	280.25
र वा							
19	ध प्र	2765.55	3202.96	2765.55	2600.37	2765.55	2734.01
20		12.30	5.24	9.60	3.58	7.90	3.46
21		2823.37	3003.12	3380.53	3014.72	3346.93	2926.68
22	f	546.55	600.19	554.73	574.07	417.36	575.66
23		7881.02	5631.97	5026.69	4232.26	2981.22	3761.71
24		1499.38	1364.03	1538.95	1551.35	1485.91	1755.48
25	र	5087.17	4085.33	5335.21	4550.75	5091.61	4608.37
26		1081.74	1235.75	1100.02	1183.86	1067.52	1061.65
27	f	4133.57	2943.14	3294.48	2748.05	3144.49	2641.70
28		2133.45	2291.69	2118.45	2135.86	1120.00	1577.82
							8158.56
29	र	5640.00	7811.74	7758.61	10567.31	9236.50	

पृ - 1							
वर्ष		वारिवरण (रु. लाख म)					
#	वर्ष	2016-17		2017-18		2018-19 (फ)	
वर्ष / क्षेत्र							
	फिद						
30		7.23	5.27	7.23	4.82	5.15	3.77
31		9.51	8.52	10.77	7.04	6.42	3.88
32	रा	52.74	42.08	47.55	35.87	29.25	45.42
33	द	3.05	1.79	2.57	1.52	2.87	1.22
34	दिल्ली	161.00	96.46	161.00	103.71	157.50	85.03
35	क्षद	12.13	5.94	12.13	2.36	11.73	10.05
36	चा	27.42	27.37	31.49	20.48	33.88	18.69
		195704.48	178810.48	199435.80	183506.43	197622.81	178668.56
टिप्प :							
1) वर्ष क्र न							
2) व य म पिछले वष का अप्रयुक्त फि, केन्द्री वर्ष का हिस्से रा फि							
व 31.03.2019 द फि फि							
3) क आंकड़े राज्यां/ वर्ष क्षेत्रों द प्रस्							

क्ष के तहत लाभार्थियों का राज्य-वार और वर्ष वार विवरण ()				
#	ज / ज क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19 - (f)
. निम्न f ष ज				
1		434005	314541	322351
2	f	1424363	1396203	1392290
3	त	324593	346003	334120
4		300314	422677	421794
5	जम्मू और कश्मीर	123181	123518	136364
6	ध प्र	1031824	1043310	992039
7	f	449699	486081	475867
8	रु	1067378	1020259	1031468
9	उत्तर प्रदेश	2482562	3119591	2069740
10	त	91970	79893	79543
. च f ष ज (ज)				
11	आंध्र प्रदेश	295957	272432	272912
12		724	516	495
13		229896	227613	239562
14		35089	32477	31409
15	f प्र	17017	15130	14435
16		396708	282087	325197
17		117326	107154	108019
18	ष्ट	281027	312445	303518
19		76922	91574	70716
20	f	413747	384852	419734
21		170730	203207	260405
22	श	578256	619981	631140
. च f ष ज (ज क्षेत्र)				
23	निकोबार द्वीप समूह	350	351	251
24		987	877	610
25	ा	1703	1206	1715
26	द	58	75	91

27	दिल्ली	13938	12409	10596
28	क्षेत्र	496	783	982
29	चौ	4242	3137	2874
. च ि ष ज ()				
30	अरुणाचल प्रदेश	13363	15003	13706
31	ि	16921	11383	14303
32		24185	19106	19515
33	ि	16430	13471	12781
34		14157	14489	12139
35	ि के	2425	1601	2435
36	त्रि	7004	26113	15741
		10459547	11021548	10040857
